कार्यालयः राँची नगर निगम, राँची।

(जलापूर्ति शाखा)
कचहरी रोड, राँची - 834001
ईमेल आई डी:- support@ranchimunicipal.com

पत्रांकः- 854/WSS   दिनांकः- 14-06-2018

जल संयोजन एवं जलापूर्ति विपत्र संबंधी महत्वपूर्ण बातें :-

1) जल संयोजन लगाने से पूर्व Final Approval Paper कार्यालय से प्राप्त कर लें। जल संयोजन शुल्क जमा करने के उपरान्त प्राप्त रसीद सिर्फ पावति रसीद है Approval नहीं।

2) अवैध जल संयोजन घरेलु/व्यवसायिक को Regularization शुल्क जमा कर वैध करवा लें अन्यथा पकड़े जाने पर रू० 10,000/- का दण्ड वसूला जायेगा।

3) जिन उपभोक्ताओं ने अब तक जल मीटर नहीं लगाया है उनके पानी नहीं मिलने अथवा बिल संबंधी शिकायत पर कोई सुनवाई नहीं होगी। पानी मिलना या नहीं मिलना सिर्फ मीटर रीडिंग के आधार पर ही सुनिश्चित किया जा सकता है। अतः उन उपभोक्ताओं को फिक्सड दर पर दस प्रतिशत अतिरिक्त दण्ड शुल्क सहित बिल का भुगतान करना होगा।

4) अंतिम स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात आवेदक/उपभोक्ता को स्वयं से किसी भी पलम्बर से फेरूल (पाईप लाईन निरीक्षक/कनीय अभियंता की उपस्थिति में) लगाते हुए जल संयोजन करवाना है। नगर निगम का कोई भी अधिकृत पलम्बर नहीं है। अतः इस संबंध में जलापूर्ति शाखा में पत्राचार करना अनावश्यक एवं व्यर्थ समझा जायेगा।

5) पानी का बिल प्रत्येक तीन माह पर अपने टैक्स कलेक्टर (वाटर) के माध्यम से अथवा स्वयं Online/Coutner (Jan Suvidha Kendra) से जमा करना सुनिश्चित करें।

6) मीटर खराब होने पर कार्यालय को सूचना अवश्य दें एवं जाँच प्रतिवेदन के बाद ही नया वाटर मीटर लगवायें, क्योंकि इससे पूर्व का मीटर रीडिंग लेना अनिवार्य है एवं इस आशय की संपुष्टि संबंधित वार्ड के टैक्स कलेक्टर (वाटर) से कराना अनिवार्य है।

7) अंतिम स्वीकृति के पश्चात अगर उपभोक्ता वर्त्तमान जल संयोजन नहीं लगाना चाहते है तो कार्यालय को सूचना अवश्य दें अन्यथा स्वीकृति के 30 दिनों के पश्चात औसत फिक्सड दर पर बिल की गणना शुरू कर दी जाएगी एवं इसके लिए उपभोक्ता स्वयं जिम्मेवार होंगे।

8) जल संयोजन संबंधी आवश्यक कागजात एवं शुल्क (वर्तमान में प्रभावी है)

जल संयोजन का प्रकार	आवश्यक संलग्न करनेवाले कागजात (अनिवार्य)	शुल्क		जल कर शुल्क
		APL	BPL	
घरेलू	• होल्डिंग पेपर • बिजली बिल • आधार/पहचान पत्र • क्रय किये गये वाटर मीटर की विपत्र की प्रति। • फोटो।	Rs. 500	0.00	Rs. 6.00/KL
व्यवसायिक	• होल्डिंग पेपर • बिजली बिल • आधार/पहचान पत्र • क्रय किये गये वाटर मीटर की विपत्र की प्रति। • फोटो। • ट्रेड लाईसेंस।	Rs. 6000.00		Rs. 15.00/KL
संस्थागत	• होल्डिंग पेपर • बिजली बिल • आधार/पहचान पत्र • क्रय किये गये वाटर मीटर की विपत्र की प्रति। • फोटो। • संस्था के लेटर पैड पर अनुरोध पत्र।	Rs. 5,000.00		Rs. 10.00/KL
अपार्टमेन्ट	• होल्डिंग पेपर (15-07-2014 से पूर्व का) • बिजली बिल (15-07-2014 से पूर्व का) • आधार पहचान पत्र • क्रय किये गये वाटर मीटर की विपत्र की प्रति। • फोटो। • अपार्टमेन्ट के सचिव का लेटर पैड पर अनुरोध पत्र। • स्वीकृत भवन प्लान नक्शा दिनांक 15-07-2014 से पहले निर्मित अपार्टमेन्ट के लिए। • ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट दिनांक 15-07-2014 के बाद निर्मित अपार्टमेन्ट के लिए।	Rs. 700.00 x No. of Flats + Rs. 1000.00		Rs. 6.00/KL

नोटः- अपार्टमेंट के संबंध में मीटर नहीं रहने पर फिक्सड दर पर बिल की गणना रू० 750 Ltr/Flat/Day के दर से किया जायेगा।

9) एक होल्डिंग पर एक ही जल संयोजन स्वीकृत किये जाने का प्रावधान है। इसमें किसी तरह का दवाब मान्य नहीं होगा।

10) अपने आवेदन में दिए जानेवाले मोबाईल नं० को अनिवार्य रूप से चालू हालत में रखें क्योंकि समय-समय पर आपको उसी नं० पर जरूरी मैसेज जाता है।

11) नए कनेक्शन के लिए आवेदन देने के पश्चात आपके मोबाईल पर दिये जाने वाले Approval Message पर अनिवार्य रूप से ध्यान दें।

12) किसी भी तरह की शिकायत अथवा जानकारी हेतु मेसर्स स्पैरो के टॉल फ्री नं० **1800-121-2241** एवं **0651-7145511** पर संपर्क करें।

नगर आयुक्त, राँची नगर निगम के आदेशानुसार।

ह०/-
कार्यपालक अभियंता,
जलापूर्ति शाखा
राँची नगर निगम, राँची।